PCSMANTRA.IN | हिंदी करेंट अफेयर्स

पैकेट के सामने लाल चेतावनी: खाद्य-लेबल व्यवस्था बदलने की सुप्रीम कोर्ट की रूपरेखा



मौलिक सांकेतिक चित्र: pcsmantra.in

समाचार-संदर्भ: 26 नवंबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर फ्रंट-ऑफ-पैक पोषण लेबलिंग (FoPNL) को लेकर विस्तृत निर्देश दिए (निर्णय संख्या: **2026 INSC 1275**)।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव (मुख्य परीक्षा): सामान्य अध्ययन II: संविधान, शासन और सामाजिक न्याय; सामान्य अध्ययन III: विज्ञान-प्रौद्योगिकी और लोक स्वास्थ्य
प्रिलिम्स: सामान्य अध्ययन I: करेंट घटनाक्रम, स्वास्थ्य एवं खाद्य नियमन

खबरों में क्यों

26 नवंबर 2026 को न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने जन स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाली गैर-लाभकारी संस्था "3S और Our Health Society" की जनहित याचिका पर निर्णय सुनाया। पीठ ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) को निर्देश दिया कि वह चेतावनी-आधारित FoPNL व्यवस्था वाले विनियम लगभग चार माह में जारी करे और अंतिम रूप दे। इन विनियमों के लागू होने के बाद अधिक कुल शर्करा, संतृप्त वसा या नमक वाले पैकेज्ड उत्पादों के सामने की ओर अलग-अलग लाल षट्कोण चेतावनी चिह्न लगेंगे।

ध्यान रहे, यह निर्णय आने वाले विनियमों की रूपरेखा तय करता है। 26 नवंबर से ही किसी पैकेट पर चेतावनी लेबल अनिवार्य नहीं हुआ है; विनियमों की अधिसूचना के बाद उद्योग को अनुपालन के लिए 365 दिन का संक्रमण काल भी मिलेगा।

गंभीर है गैर-संक्रामक रोगों का बोझ

- भारत में गैर-संक्रामक रोग (NCD) प्रतिवर्ष लगभग 63% मृत्युओं का कारण बनते हैं, यानी करीब 60 लाख जानें; अनुमान है कि 2030 तक यह हिस्सा कुल मृत्यु दर का 75% तक पहुँच जाएगा।

- ICMR-INDIAB अध्ययन (2021) के अनुसार देश में लगभग 10.1 करोड़ लोग मधुमेह, 13.6 करोड़ प्री-डायबिटीज, 31.5 करोड़ उच्च रक्तचाप, 25.4 करोड़ सामान्य मोटापे और 35.1 करोड़ आब्डॉमिनल ओबेसिटी से ग्रस्त हैं।
- NFHS-6 (2023-24) के आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं में मोटापा 24% से बढ़कर 30.7% और पुरुषों में 22.9% से 27.3% हो गया है।
- अधिक संतृप्त वसा, शर्करा और नमक वाले खाद्य पदार्थ (HFSS) तथा अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य (UPF) इस संकट के प्रमुख कारक हैं; भारत में UPF क्षेत्र की खुदरा बिक्री 2011 से 2021 के बीच 13.37% बढ़ी है।

कोर्ट ने क्या निर्देश दिए

- **चिंता के पोषक तत्व:** FoPNL में "कुल शर्करा" (total sugars) और "संतृप्त वसा" (saturated fat) को नमक के साथ चिंता के पोषक तत्व माना जाएगा, न कि "अतिरिक्त शर्करा" और "अतिरिक्त वसा" को। कोर्ट ने कहा कि FSSAI की अपनी दीर्घकालिक सहमति भी यही थी।
- **सीमा-मूल्य नए सिरे से:** भारतीय आहार दिशानिर्देश 2024 (DGI 2024) की तालिका 15.1 की सीमाएँ यथावत नहीं अपनाई जाएँगी, क्योंकि वे "अतिरिक्त" शर्करा-वसा के आधार पर बनी थीं। नई सीमाएँ वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित होंगी: न इतनी नीची कि लगभग हर उत्पाद पर चेतावनी आ जाए और उपभोक्ताओं में "लेबल थकान" पैदा हो, न इतनी ऊँची कि हानिकारक उत्पाद बच निकलें।
- **लेबल का प्रारूप:** हर पोषक तत्व के लिए अलग लाल षट्कोण, जिसमें उस तत्व का मानक चित्र और "High Fat", "High Sugar" या "High Salt" लिखा होगा। एक ही संयुक्त षट्कोण स्वीकार्य नहीं होगा।
- **आकार और फ़ॉन्ट:** प्रत्येक षट्कोण पैकेज के मुख्य प्रदर्शन पैनल का न्यूनतम 4 से 5 प्रतिशत भाग घेरेगा; भीतर का फ़ॉन्ट स्पष्ट, प्रमुख और सामान्य खरीद परिस्थितियों में पढ़ने योग्य होगा।
- **पेय पर स्पष्टता:** जो पेय सीमा के भीतर हैं, उनकी श्रेणी दर्शाने वाला कोई चिह्न चेतावनी लेबल जैसा दिखने वाला नहीं होगा।
- **छूट और निगरानी:** छूट पाने वाले खाद्यों की स्पष्ट और तर्कसहत सूची बनेगी। कंपनियाँ यदि कृत्रिम परिरक्षकों या अन्य योजक (additives) से नियम के उद्देश्य को निष्फल करेंगी, तो FSSAI निगरानी कर आवश्यक कार्रवाई करेगा।
- **समयसीमा:** मसौदा संशोधन विनियम जारी करने से लेकर अंतिम अधिसूचना तक की पूरी प्रक्रिया लगभग चार माह में पूरी होगी। इसी अवधि में मसौदा 60 दिन के लिए घरेलू हितधारकों और विश्व व्यापार संगठन (WTO) मंच पर टिप्पणियों के लिए रखा जाएगा, टिप्पणियों का परीक्षण होगा, विनियम अनुमोदित होकर राजपत्र में प्रकाशित होंगे। कोर्ट ने कहा कि पूरी सर्वसम्मति की प्रतीक्षा में प्रक्रिया न रुके; लोक स्वास्थ्य और उपभोक्ता हित को प्राथमिकता दी जाए।
- **संक्रमण काल:** विनियम अधिसूचित होने की तिथि से 365 दिन। इस दौरान FSSAI उप-समयसीमाएँ तय कर अनुपालन की निगरानी करेगा, सामान्यतः कोई और विस्तार नहीं मिलेगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस अवधि में बिना लेबल वाली पैकेजिंग का बड़े पैमाने पर मुद्रण या पुराने फॉर्मूले का उत्पादन बढ़ाकर नियम को दरकिनार नहीं किया जा सकता। जो कंपनियाँ चाहें, वे 365 दिन से पहले भी स्वेच्छा से नया लेबल अपना सकती हैं।
- **पोषण साक्षरता:** केंद्र सरकार सुनिश्चित करेगी कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक (स्कूलों में बच्चों के लिए सुरक्षित भोजन और संतुलित आहार) विनियम, 2020 का कड़ाई से पालन हो और स्कूल पाठ्यक्रमों में लेबल पढ़ना जैसी व्यावहारिक गतिविधियाँ जुड़ें।
- **समीक्षा:** अदालत 10 सप्ताह बाद मामले को सूचीबद्ध करेगी, जब FSSAI मसौदा विनियमों की प्रगति का शपथपत्र देगा। मामला अंशतः सुनवाई (part-heard) में रखा गया है और निर्णय की एक प्रति स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रधान सचिव को भेजी जाएगी।

स्टार-रेटिंग से चेतावनी तक का सफर

- यह मामला वर्ष 2024 की मूल याचिका (रिट याचिका (सिविल) संख्या 437/2024) से जुड़ा है।
- FSSAI का पहला झुकाव हेल्थ-स्टार-रेटिंग (INR प्रारूप) की ओर था, जिसमें सितारों से उत्पाद की समग्र पोषण-गुणवत्ता बताई जाती। हितधारकों में सहमति न बन पाने पर यह प्रस्ताव इस निर्णय से पहले ही आगे नहीं बढ़ाया गया।
- 10 फरवरी 2026 के आदेश से अदालत ने FSSAI को याचिकाकर्ता के चेतावनी-शैली के सुझाव पर विचार करने को कहा, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित था।
- इसके बाद FSSAI ने अगस्त 2026 में DGI 2024 आधारित एक प्रस्ताव रखा, फिर अपने शपथपत्रों में लाल षट्कोण वाला चेतावनी प्रारूप स्वीकार किया, जिसे अदालत ने अंतिम निर्देशों में परिष्कृत किया।

कानूनी और संवैधानिक आधार

- **अनुच्छेद 21:** कोर्ट ने माना कि स्वास्थ्य का अधिकार, खाद्य का अधिकार और सूचित चुनाव का अधिकार जीवन के अधिकार का अंग हैं। इन मौलिक अधिकारों की साकारता के लिए राज्य पर सकारात्मक दायित्व हैं, और HFSS/UPF की बढ़ती खपत के मद्देनजर व्याख्यात्मक FoPNL एक उचित उपाय है।
- **धारा 18(2)(a)(ii), खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006:** विनियम बनाते समय अंतर्राष्ट्रीय मानकों और प्रथाओं को ध्यान में रखने का प्रावधान; कोर्ट ने इसी के आधार पर षट्कोण के न्यूनतम आकार को अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं से जोड़ा।
- **अंतर्राष्ट्रीय दायित्व:** ICESCR के तहत स्वास्थ्य और पर्याप्त खाद्य के अधिकार से जुड़े राज्य के दायित्वों का भी हवाला दिया गया।
- कोर्ट ने "स्टीवार्डशिप" मॉडल अपनाया: राज्य की भूमिका केवल सूचना देना नहीं, बल्कि स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाने वाली व्यावसायिक प्रथाओं को नियंत्रित करना भी है।

अंतर्राष्ट्रीय अनुभव

- चिली में उच्च चीनी, वसा और नमक वाले उत्पादों पर काले चेतावनी चिह्न (stop signs) अनिवार्य हैं; मेक्सिको, ब्राज़ील और इज़राइल ने भी इसी तरह की चेतावनी-आधारित लेबलिंग अपनाई है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) NCD रोकथाम के लिए FoPNL जैसी व्याख्यात्मक लेबलिंग की सिफारिश करता है।
- भारतीय प्रस्ताव में लाल षट्कोण का चुनाव भी इन्हीं वैश्विक प्रथाओं के मूल्यांकन के बाद हुआ है।

महत्व और चुनौतियाँ

- **महत्व:** सामने का लेबल उसी क्षण जानकारी देता है, जब उपभोक्ता खरीद का निर्णय लेता है; पैकेट के पीछे छोटे अक्षरों वाली पोषण तालिका व्यवहार में कम पढ़ी जाती है। बच्चों के खाद्य पदार्थों और स्कूल कैंटीनों पर इसका सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि 2020 के विनियम स्कूल परिसर में HFSS खाद्यों की बिक्री और स्कूल गेट से 50 मीटर के दायरे में उनके विज्ञापन पर पहले से ही प्रतिबंध लगाते हैं।
- **चुनौतियाँ:** सही सीमा-मूल्य तय करना सबसे कठिन कार्य है। लगभग सभी उत्पादों पर चेतावनी लगने से "लेबल थकान" आएगा, और बहुत ढीली सीमा उद्देश्य विफल कर देगी। छोटे और मध्यम उद्यमों पर पैकेजिंग बदलने की लागत, प्रयोगशाला-निरीक्षण क्षमता, संक्रमण काल के दुरुपयोग की रोकथाम और additives द्वारा नियम की अनदेखी की संभावना, ये सब प्रवर्तन के सामने खड़ी चुनौतियाँ हैं।

आगे की राह

- FSSAI चार माह की समयसीमा का कड़ाई से पालन करे और सर्वसम्मति के नाम पर देरी से बचे; टकराव की स्थिति में लोक स्वास्थ्य और उपभोक्ता हित को प्राथमिकता दे।
- सीमा-मूल्य वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित हों और छूट-सूची इतनी स्पष्ट हो कि जिन उत्पादों पर चेतावनी चाहिए, वे बच न निकलें।
- संक्रमण काल की उप-समयसीमाओं पर निगरानी हो; बिना लेबल वाली पैकेजिंग और पुराने उत्पादों के भंडारण पर रोक लगे।
- पोषण साक्षरता को अभियान से आगे बढ़ाकर स्कूल पाठ्यक्रम और व्यावहारिक गतिविधियों तक पहुँचाया जाए, ताकि लेबल पढ़ने की क्षमता बने।
- लेबल आने के बाद उत्पादों के पुनःसंयोजन (reformulation) और additives के प्रयोग पर लगातार नज़र रखी जाए।

परीक्षा के लिए मुख्य तथ्य

बिंदु	तथ्य
फैसले की तिथि	26 नवंबर 2026, नई दिल्ली
निर्णय संख्या	2026 INSC 1275
वाद	विविध आवेदन संख्या 1177/2025, रिट याचिका (सिविल) संख्या 437/2024 में
पीठ	न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन
याचिकाकर्ता	3S और Our Health Society (गैर-लाभकारी जन स्वास्थ्य संस्था)
चिंता के पोषक तत्व	कुल शर्करा, संतृप्त वसा और नमक
चेतावनी प्रारूप	प्रत्येक पोषक तत्व के लिए अलग लाल षट्कोण; पैनल का न्यूनतम 4-5%
समयसीमा	विनियम जारी करने और अंतिम रूप देने में लगभग चार माह (इसी में 60-दिन का सार्वजनिक परामर्श); अधिसूचना से 365 दिन का संक्रमण काल
समीक्षा	10 सप्ताह बाद FSSAI का प्रगति शपथपत्र
संवैधानिक आधार	अनुच्छेद 21: स्वास्थ्य, खाद्य और सूचित चुनाव का अधिकार

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: फ्रंट-ऑफ-पैक पोषण लेबलिंग (FoPNL) पर सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: न्यायालय ने निर्देश दिया है कि FoPNL में "कुल शर्करा" और "संतृप्त वसा" को नमक के साथ चिंता के पोषक तत्व के रूप में अपनाया जाए।

कथन 2: इस निर्णय के साथ ही सभी पैकेज्ड खाद्य उत्पादों पर चेतावनी लेबल तत्काल अनिवार्य हो गए हैं।

कथन 3: FSSAI ने इस निर्णय से पहले ही अपना हेल्थ-स्टार-रेटिंग (INR) प्रारूप आगे न बढ़ाने का निर्णय ले लिया था।

कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

▼ उत्तर और व्याख्या

सही उत्तर: (b)

कथन 1 सही है: न्यायालय ने निर्देश दिया कि चिंता के पोषक तत्व "कुल शर्करा" और "संतृप्त वसा" हों, नमक के साथ, न कि "अतिरिक्त शर्करा" और "अतिरिक्त वसा"।

कथन 2 गलत है: निर्णय भविष्य के विनियमों की रूपरेखा तय करता है। विनियम अधिसूचित होने के बाद उद्योग को अनुपालन के लिए 365 दिन का संक्रमण काल मिलेगा; तब तक लेबल अनिवार्य नहीं हैं।

कथन 3 सही है: हितधारकों में सहमति न बन पाने के कारण FSSAI का हेल्थ-स्टार-रेटिंग (INR) प्रस्ताव इस निर्णय से पहले ही आगे नहीं बढ़ाया गया था; फरवरी 2026 के आदेश से अदालत ने चेतावनी-शैली पर विचार करने को कहा था।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: "स्वास्थ्य का अधिकार केवल चिकित्सा सुविधा तक सीमित नहीं, बल्कि रोग-कारक बाजार-प्रथाओं के नियमन तक भी फैला है।" सर्वोच्च न्यायालय के फ्रंट-ऑफ-पैक पोषण लेबलिंग संबंधी हालिया निर्देशों के आलोक में इस कथन का परीक्षण कीजिए और इस व्यवस्था के कार्यान्वयन की प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। (250 शब्द, 15 अंक)

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में - गैर-संक्रामक रोगों के बोझ (लगभग 63% मृत्यु) और HFSS/UPF की बढ़ती खपत का संदर्भ; 26 नवंबर 2026 के निर्णय (2026 INSC 1275) का उल्लेख।

मुख्य भाग में - अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वास्थ्य, खाद्य और सूचित चुनाव के अधिकार तथा राज्य के सकारात्मक दायित्व; चेतावनी-आधारित FoPNL के प्रमुख तत्व: कुल शर्करा-संतृप्त वसा-नमक के लिए अलग लाल षट्कोण, न्यूनतम 4-5% आकार, वैज्ञानिक सीमा-मूल्य; चार माह की समयसीमा और 365-दिन का संक्रमण काल; स्टार-रेटिंग प्रस्ताव का त्याग और स्टीवार्डशिप मॉडल; चिली, मेक्सिको आदि का अंतर्राष्ट्रीय अनुभव।

निष्कर्ष में - चुनौतियाँ: सीमा-मूल्य का संतुलन और लेबल थकान, छोटे उद्यमों की लागत, प्रवर्तन क्षमता, संक्रमण काल का दुरुपयोग; निष्कर्ष के रूप में समयबद्ध विनियम, निगरानी और पोषण साक्षरता का समन्वित समाधान।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न 1: क्या 26 नवंबर 2026 से ही सभी खाद्य पैकेटों पर लाल चेतावनी लगनी शुरू हो गई है?

उत्तर: नहीं। अदालत ने भविष्य के विनियमों के लिए निर्देश दिए हैं। FSSAI के पास विनियम जारी और अंतिम रूप देने के लिए लगभग चार माह हैं, और विनियम अधिसूचित होने के बाद उद्योग को 365 दिन का संक्रमण काल मिलेगा।

प्रश्न 2: स्टार-रेटिंग और चेतावनी-लेबल में क्या अंतर है?

उत्तर: स्टार-रेटिंग उत्पाद की समग्र पोषण-गुणवत्ता को सितारों में दर्शाती है, जबकि चेतावनी-लेबल हर चिंता के पोषक तत्व (कुल शर्करा, संतृप्त वसा, नमक) के लिए अलग चिह्न लगाता है। FSSAI का स्टार-रेटिंग प्रस्ताव हितधारक सहमति के अभाव में इस निर्णय से पहले ही आगे नहीं बढ़ा था।

प्रश्न 3: संक्रमण काल में कंपनियाँ पुरानी पैकेजिंग का स्टॉक बढ़ा सकती हैं क्या?

उत्तर: नहीं। अदालत ने FSSAI को निर्देश दिया है कि वह 365-दिन की अवधि में बिना लेबल वाली पैकेजिंग के बड़े पैमाने पर मुद्रण और पुराने फॉर्मूले के उत्पादन को बढ़ाने से रोकने की योजना बनाए; उप-समयसीमाओं पर निगरानी होगी और उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी।

स्रोत

1. सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय: 3S and Our Health Society बनाम भारत संघ, 2026 INSC 1275, 26 नवंबर 2026 (PDF)
2. इसी वाद में सर्वोच्च न्यायालय का 10 सितंबर 2026 का आदेश (PDF, supremecourt.gov.in)
3. भारतीय आहार दिशानिर्देश 2024, ICMR-राष्ट्रीय पोषण संस्थान (PDF)
4. विश्व स्वास्थ्य संगठन: गैर-संक्रामक रोगों पर तथ्य-पत्रक
5. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (विशेषतः धारा 18(2)(a)(ii))
6. खाद्य सुरक्षा एवं मानक (स्कूलों में बच्चों के लिए सुरक्षित भोजन और संतुलित आहार) विनियम, 2020